

# बिहार गजट

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1940 (श0) (सं0 पटना 1215) पटना, सोमवार, 31 दिसम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

### अधिसूचना 31 दिसम्बर 2018 अधिसूचना संख्या 28/2018—राज्य कर (दर)

एस० ओ० 282, दिनांक 31 दिसम्बर 2018— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 12/2017—राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या—555, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, -

- (i) सारणी में, -
- (क) क्रम संख्या २१क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा. यथा:-

		•		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21ख	शीर्षक	किसी ऐसे माल परिवहन एजेंसी द्वारा गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में,	कुछ	कुछ
	9965	निम्नलिखित को , प्रदान की जाने वाली सेवाएं ,-	नहीं	नहीं";
	या	(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या		
	शीर्षक	संस्थापना; या		
	9967	(ख) स्थानीय प्राधिकरण <i>;</i> या		
		(ग) सरकारी एजेंसियों,		
		जिन्होंने धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के उद्देश्य से बिहार माल		
		और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत अपना पंजीकरण		
		कराया है न कि माल या सेवाओं की कराधेय आपूर्ति करने के लिए।		

(ख) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा. यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27 क	शीर्षक	किसी बैंकिंग कंपनी के द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना	कुछ नहीं	कुछ
	9971	(PMJDY) के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट		नहीं";
		(BSBD) खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।		

- (ग) क्रम संख्या 34क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, ''पीएसयू द्वारा' शब्दों के पश्चात ''बैंकिंग कंपनियां एवं' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा,
- (घ) क्रम संख्या 66 के समक्ष, कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"शीर्षक ९९९२ या शीर्षक ९९६३":

- (ङ) क्रम संख्या 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;
- (च) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74क	शीर्षक	भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के	कुछ	कुछ
	9993	अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों,	नहीं	नहीं";
		शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य		
		क्षेत्र या अन्य निकायों, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961		
		का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित		
		पुनर्वास केन्द्रों में पुनर्वास, थैरैपी या काउंसलिंग और ऐसी ही		
		अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई एक्ट, 1992 के अंतर्गत आती		
		हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।		

- (ii) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -"(यकक) "वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो";
- 2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—4)—7269)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

#### 31 दिसम्बर 2018

एस0 ओ0 282 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> [(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—4)—7269)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

#### The 31<sup>st</sup> December 2018

#### Notification no. 28/2018- State Tax (Rate)

S.O. 282, Date 31<sup>st</sup> December, 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification No.12/2017 – State Tax (Rate), dated the 29<sup>th</sup> June, 2017 of Commercial Taxes Department, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 555, dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely:- In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"21B	Heading	Services provided by a goods transport agency, by way of	Nil	Nil";
	9965 or	transport of goods in a goods carriage, to, -		
	Heading	(a) a Department or Establishment of the Central		
	9967	Government or State Government or Union territory;		
		or		
		(b) local authority; or		
		(c) Governmental agencies,		
		which has taken registration under the Bihar Goods and		
		Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) only for the purpose of		
		deducting tax under Section 51 and not for making a taxable		
		supply of goods or services.		

(b) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"27A	Heading	Services provided by a banking company to Basic Saving	Nil	Nil";
	9971	Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan		
		Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).		

- (c) against serial number 34A, in the entry in column (3),after the letters and words "PSUs from the", the words "banking companies and" shall be inserted;
- (d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely: -

"Heading 9992 or Heading 9963";

- (e) serial number 67 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (f) after serial number 74 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74	A Heading	Services provided by rehabilitation professionals recognised	Nil	Nil";
	9993	under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of		
		1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and		
		such other activity as covered by the said Act at medical		
		establishments, educational institutions, rehabilitation		
		centers established by Central Government, State		
		Government or Union territory or an entity registered under		
		section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).		

- (ii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: "(zaa) "financial institution" has the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act,1934(2 of 1934)."
- 2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup>day of January, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-4)-7269)] By order of the Governor of Bihar, DR. PRATIMA,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 1215-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>